न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 72/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— **2025/139**

दायर दिनांक :— 27.03.2025 निर्णय दिनांक :— **19.05.2025**

1. कमलकिशोर पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1023/952 रकबा 0.8093 हैक्टेयर भूमि मौजा बाप वर्तमान नवसृजित ग्राम जेतड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि मूल खसरा नम्बर 952 की वक्त सेटलमेंट अभिलेख में ग्राम बाप में दर्ज थी वर्तमान में ग्राम बाप में से ग्राम जेतड़ासर नवीन ग्राम सृजित हो जाने से मूल खसरा नम्बर 952 की भूमि तथा इसके सम्पूर्ण बट्टा नम्बरान की भूमि नवसृजित ग्राम जेतड़ासर तहसील बाप में स्थित है। प्रार्थी की भूमि कटाणी रास्ते के चिपती ही स्थित थी लेकिन वक्त सेटलमेंट में प्रार्थी की भूमि एवं कटाण रास्ता के बीच में बिना खसरा नम्बर का नक्शा सरासर गलत रूप से तैयार कर दिया उक्त बिना खसरा नम्बर का नक्शा कटाणी रास्ते का भाग है जो रास्ते के रूप में आजदिन तक उपयोग में आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के चिपता ही मूल खसरा नम्बर 965 स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 965/1 है। जिसका नक्शा ट्रेस प्रार्थी के भूमि के दक्षिण दिशा तक ही है। जो मोमी ट्रेस नक्शा से प्रमाणित है लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत खसरा नम्बर 965 को बिना नम्बरी खसरा नम्बर के साथ में बिना किसी विधिक आदेश के सम्मिलित कर दिया गया जो सरासर गलत है। इसलिए प्रार्थी वक्त सेटलमेंट में जारी मोमी ट्रेस नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 965 की तरमीम करवाने एवं उक्त बिना नम्बरी नक्शा ट्रेस को कटाण रास्ता के साथ में सम्मिलित करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलेक्टर

बाप (फलोदी)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम जेतड़ासर पटवार हल्का बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 1023/952 रकबा 0.8093 हैक्टेयर भूमि के चिपता ग्राम बाप के खसरा नम्बर 965/1 स्थित है। खसरा नम्बर 965/1 की तरमीम डीआईएलआरएमपी योजना के तहत की गई जबकि मोमी ट्रेस नक्शे अनुसार बिन्दु संख्या ए, बी, सी, डी अलग से आकृत है। जिसका क्षेत्रफल 0.5123 हैक्टेयर कभी जमाबंदी में दर्ज नहीं हुआ। उक्त तरमीम मोमी ट्रेस नक्शा से भिन्न बिना दर्ज खसरा नम्बर के भूमि में कर दी गई है। उक्त आकृत का नया खसरा नम्बर दर्ज करते राजकीय भूमि के रूप में खसरा नम्बर 965 की जिसमें पूर्व में किस्म बा.चा. दर्ज किया जाना है। मोमी ट्रेस नक्शा एवं तहसीलदार का जवाब मय मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की उक्त तरमीम मोमी ट्रेस नवशा से भिन्न ऑनलाईन भू–नक्शा में की गई है जिसे रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का बाप की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा एवं मोमी ट्रेस नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 965/1 की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा मार्क ए, बी, सी, डी का रकबा 0.5123 हैक्टेयर का नया खसरा नम्बर अंकित करते हुवे किस्म बा. चा. दर्ज किया जाकर तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.) 19/5/25
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)